



HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 126/2023

Ashok Kumar Alias Ashok Salvi Son of Shri Heeralal Balai,
Resident of-281, Sabli, District-Dungarpur(Raj.)

----Appellant/Claimant

Versus

1. Karan Singh Son of Shri Hariram, Resident of - Village - Nangal Syalu, Tehsil- Narnaul, District-Mahendragarh (Haryana).
(Driver of Vehicle No. HR-66B-5142)
2. Satish Kumar Son of Shri Umrao Singh, Resident of - House No. 84/2, Pranpura, Ward No. 5, Narnaul, District-Mahendragarh (Haryana) Police Station - Bajaj Nagar, Jaipur.
(Owner of The Vehicle No. H R -66B-5142).
3. Oriental Insurance Company Limited, Regional Office At-Bima Bhawan, 9th And 10th Floor, NBCC Center, Lal Kothi Scheme, Sahkar Marg, Jaipur.
(Insurer Vehicle No. H R -66B-5142)

----Respondents/Non-Claimants

For Appellant(s)	:	Mr. Nitesh Rawat, Adv. with Mr. Vikas Bana, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Raaj Pal Chaudhary, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR
Order

09/12/2025

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या-01, जयपुर महानगर-द्वितीय (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-472/2019, अशोक कुमार उर्फ अशोक सालवी बनाम करण सिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.09.2022 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।



2. अपीलार्थी अशोक द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 14,40,000 /— रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याची को कुल 1,39,803 /— रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 07 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की कोई आय निर्धारित नहीं कर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि वक्त घटना अपीलार्थी सरकारी स्कूल में अध्यापक के पद पर पदस्थापित होकर प्रतिमाह 40,000 /— रुपये वेतन प्राप्त करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि दुर्घटना में अपीलार्थी के बायें हाथ की ह्यूमरस हड्डी में अस्थि भंग की चोट कारित हुई, जिसके फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 17.50 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधाओं की कमी के मद में कोई राशि अपीलार्थी को नहीं दिलवाई गई है तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में व अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।



6. मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी के शरीर के विभिन्न भागों में साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई तथा अपीलार्थी के बायें हाथ की ह्यूमरस हड्डी में अस्थि भंग की चोट कारित हुई, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी के शरीर पर कुल 17.50 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है।

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 28.02.2019 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को 41 वर्ष की आयु का होना बताते हुए सरकारी स्कूल में अध्यापक के पद पदस्थापित होकर 40,000/- रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करना बताया गया है। अपीलार्थी द्वारा स्वयं की आय के संबंध में माह सितम्बर, 2020 की वेतन स्लिप प्रदर्श-72, माह दिसम्बर, 2020 की वेतन स्लिप प्रदर्श-73 तथा माह फरवरी, 2021 की वेतन स्लिप प्रदर्श-74 विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलार्थी की आय के संबंध में विद्वान अधिकरण द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि "प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी उक्त वेतन पर्चियां प्रदर्श-72 लगायत प्रदर्श-74 तीनों ही वेतन पर्चियां दुर्घटना दिनांक 18.02.2019 के लगभग दो वर्ष बाद की है। दुर्घटना से पहले की कोई वेतन पर्ची पेश नहीं की है और न ही अपने बयानों में ऐसी कोई बात प्रार्थी ने कही है कि दुर्घटना में आई चोटों के कारण उसकी मासिक आय में कोई कमी हुई हो। प्रार्थी ने अपने बयान में दुर्घटना के समय 40,000/- रुपये वेतन बताया है। जबकि दुर्घटना के बाद की वेतन पर्चियों में भी 40,300/- रुपये बेसिक-पे बताया गया है, जो डी.ए. और एच.आर.ए. मिलाकर 50,375/- रुपये होता है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप आय की कोई हानि नहीं हुई है तथा प्रार्थी को दुर्घटना पश्चात् भी नियमित वेतन प्राप्त हो रहा है।" इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को आय की क्षति के मद में कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया गया है। विद्वान अधिकरण के उक्त निष्कर्ष में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

8. विद्वान अधिकरण द्वारा इलाज पर व्यय की गई राशि के मद में 75,697/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाई गयी है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।



9. विद्वान अधिकरण द्वारा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में व भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में 40,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाई गयी है। अतः उक्त मदों में हम, 50,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को पौष्टिक आहार की मद में 15,000/- रुपये की राशि दिलवाई गयी है जो कम है। अतः पौष्टिक आहार की मद में हम, 25,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को 04 दिवस अस्पताल में भर्ती रहने हेतु 2,000/- रुपये की राशि दिलवाई गयी है। जबकि अपीलार्थी दुर्घटना के पश्चात् दिनांक 28.02.2019 से 01.03.2019 तक, कुल 04 दिन तथा 09.11.2020 से 10.11.2020 तक कुल 02 दिन, इस प्रकार अपीलार्थी कुल 06 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहा है। अतः 06 दिवस अस्पताल में भर्ती रहने हेतु हम 600/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 3,600/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को यातायात व परिवहन पर व्यय की गयी राशि के मद में 7,106/- रुपये की राशि दिलवाई गयी है। अतः यातायात व परिवहन की मद में हम, 15,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है :-

क्रम संख्या	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में तथा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में	50,000 /-
2.	इलाज पर खर्च हुई राशि के मद में	75,697 /-
3.	पौष्टिक आहार की मद में	25,000 /-
4.	यातायात व परिवहन पर व्यय हुई राशि के मद में	15,000 /-
5.	06 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	3,600 /-
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि		1,69,297 /-
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (-)		1,39,803 /-
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		29,494 /-



14. तदनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट को 1,39,803/- रुपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 1,69,297/- रुपये का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।
15. इस आदेश द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।
16. आदेश की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित विद्वान अधिकरण को अविलम्ब लौटाया जावे।
17. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।
18. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J